न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 79/2018

बउनवान

राधेश्याम पुत्र मथुरालाल जाति नायक, निवासी भोज्याहेड़ी, तहसील मांगरोल जिला बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

जिला कलैक्टर न्यायालय बारां (राज0)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीपसिंह हाड़ा, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 04.01.2023

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 03.03.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम भोज्याहेड़ी तहसील–मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 275 रकबा 0.38 है., किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 456/– रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ने निर्णय से पूर्व ना तो मौके पर कब्जे बाबत कोई पुष्टि की ना ही पड़ौसी खेत वालों की कोई साक्ष्य रिकार्ड पर ली मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर बिना अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर दिये एकतरफा निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। जिस भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण बताया गया है वह भूमि प्रार्थी के खाते की भूमि में मिली हुई है। अपीलांट की ओर कोई जुर्माना बकाया नहीं है। अपीलांट को द्वितीय ट्रेसपासर मानकर दंडित किया है। उक्त निर्णय के पूर्व अपीलांट को ना तो विधिवत कोई नोटिस दिया ना सुनवायी हेतु कोई सूचना प्रेषित की मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा निर्णय पारित कर दंडित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.03.2018 निरस्त किया जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.24 11:03:38 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का किसी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट आधार पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किये जाने में त्रुटि की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित किये गये जुर्माने की राशि जमा करवा दी है तथा उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने नोटिस लेने से मना किया तथा अपीलांट बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का के बयान से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 214/17 निर्णय दिनांक 20.03.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है, जारी नोटिस की पुश्त पर अंकित रिपोर्ट तामील कुनिन्दा अनुसार अपीलांट ने नोटिस लेने से इन्कार किया तथा अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 275 रकबा 0.38 है., किस्म–चारागाह, ग्राम भोज्याहेड़ी पर सम्वत् 2073 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 214/17 में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2017 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 11/18 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2018 यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.24 11:03:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को बर इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां
जिला कलेक्टर बारां (राज.)